FORM No.111

APP Crll

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अदालम कलेक्टर मुकाम बसवा

मुकदमा गंगासहाय बनाम सरकार

LR एक्ट 128 नं. 15 सन 2024

नं. हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/5/24	प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री गंगासहाय पुत्र पाँच्या जाति- ब्राह्मण नि०- बनापुरा वगैरह द्वारा जरिये एड० श्री श्याम सुन्दर शर्मा विरुद्ध अप्रार्थीगण राज० सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बसवा तहसील बसवा जिला- दौसा के अंतर्गत धारा 128 LR Act भूमि में पत्थरगढ़ी करवाने बाबत पेश किया। हमने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण दर्ज रजि० होकर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 22-05-2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.
22/5/24	पत्रावली पेश हुई। उपरोक्त तलबी में आ.ता. 10-6-24 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
29/5/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा जरिये Advocate श्री श्याम सुन्दर शर्मा को 1 प्रा.पत्र शीघ्र सुनवाई को पेश किया। प्रस्तुत प्रा.पत्र को स्वीकार कर [illegible] तलब करके [illegible] गयी। प्रार्थी Advocate [illegible] किया है। प्रकरण में तहसीलदार बसवा की रिपोर्ट प्राप्त दिनांक 29-5-2024 की [illegible] प्राप्त हो चुकी है व पत्थरगढ़ी 30 जून को [illegible] होती है। प्रा.पत्र स्वीकार किया [illegible] निर्णय पृथक से लिखा गया। TDR को तहरीर जारी हो। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:07:03 IST
Reason: SelfAttested

1

न्यायालय
उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट महोदय, बसवा जिला दौसा।

Reader check & depot

1. गंगासहाय पुत्र पांच्या 2. गीता देवी पुत्री शिवसहाय 3. गोविन्द सहाय पुत्र शिवसहाय 4. मोहनलाल पुत्र शिवसहाय 5. रामजीलाल पुत्र शिवसहाय	जतियान ब्राह्मण निवासी बनापुरा तहसील बसवा जिला दौसा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

– अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट</u>

<u>भूमि में पत्थरगढी करवाने बाबत।</u>

श्रीमान जी,

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है :–

1. यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 45 पुराना 45 खसरा नं. 161 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नं. 162 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नं. 230 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं. 231 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नं. 232 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नं. 320 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नं. 321 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नं. 74 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नं. 75 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नं. 76 रकबा [illegible] 77 हैक्टेयर, खसरा नं. 78 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नं. 79 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नं. 80 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नं. 81 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नं. 82 रकबा 1.04 हैक्टेयर, कुल खसरा 15 कुल रकबा 5.17 हैक्टेयर वाके रामा बनापुरा पटवार हल्का लिलोज तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:07:03 IST
Reason: SelfAttested

बसवा जिला दौसा में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है।

2. यह है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने स्वामित्व व कब्जे काश्त, खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी ने दिनांक 11.06.2014 को उक्त भूमि खसरा नं. 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82 , 161, 162 का मौके पर पहुँच कर प्रार्थीगण व गवाहो के समक्ष भूमि का सीमाज्ञान किया। जिसकी मौका पर्चा रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

3. यह है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2014 के अनुसार उक्त प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी व तारबन्दी किया जाना उचित है।

4. यह है कि प्रार्थी अपनी भूमि खसरा नं. 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82 , 161, 162 का सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2014 के अनुसार उक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाकर उसमें चिन्हित कायम करवाना चाहता है जो भूमि की सुरक्षा के लिये अति आवश्यक हैं जिससे की भविष्य में अन्य सहखातेदारो से किसी भी प्रकार का उक्त भूमि के सीमाज्ञान को लेकर विवाद न हो तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि को सुधार करवा कर भूमि के चारों ओर मेड बन्दी करवाना चाहता है। जिसके लिए भूमि का पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। बिना पत्थरगढी के भविष्य में विवाद होने की संभावना है।

5. यह है कि आस पास की भूमि अन्य खातेदारों की होने व प्रार्थीगण की भूमि में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी नही होने से भविष्य में विवाद की विषयवस्तु हो सकती है। भविष्य की असंभावनाओं व अपूर्णीय क्षति से बचने के लिए उक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाया जाना अति आवश्यक है।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है क्योंकि [illegible] सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2014 को ग्राम बनापुरा की भूमि का किया गया है। जो श्रीमान् के क्षेत्र में आती है। इसलिए श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार हासिल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:07:03 IST
Reason: SelfAttested

7. यह है कि प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः श्रीमान जी की सेवा में प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर. एक्ट में पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को आदेश दिया जावे कि वह प्रार्थीगण की आराजी भूमि खाता सं. नया 45 पुराना 45 खसरा नं. 161 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नं. 162 रकबा 0.26 हैक्टेयर, [illegible] खसरा नं. 74 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नं. 75 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नं. 76 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नं. 78 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नं. 79 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नं. 80 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नं. 81 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नं. 82 रकबा 1.04 हैक्टेयर, कुल खसरा 15 कुल रकबा 5.17 हैक्टेयर वाके रामा बनापुरा पटवार हल्का लिलोज तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है की सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2014 के अनुसार पत्थरगढी मौके पर करवायी जाने के आदेश फरमावे एवं जरूरत पडने पर पुलिस इमदाद के आदेश दिये जाने के आदेश दिये जाये एवं प्रार्थीगण के हित में जो न्यायप्रद हो आदेश फरमाया जावे।

दिनांक :

प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.08 17:06:03 IST
Reason: SelfAttested

गंगाराम पुत्र पांच्या, शांति देवी पुत्री शिवसहाय
गोविन्द सहाय, मोहनलाल पुत्रान शिवसहाय
जतियान ब्राह्मण निवासी बनापुरा
तहसील बसवा जिला दौसा।

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या 15/2024
प्रकरण रज्जु दिनांक : 17.5.2024
निर्णय दिनांक 29.5.2024

प्रकरण :– वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

1. गंगासहाय पुत्र पांच्या
2. गीता देवी पुत्री शिवसहाय
3. गोविन्द सहाय पुत्र शिवसहाय
4. मोहनलाल पुत्र शिवसहाय
5. रामजीलाल पुत्र शिवसहाय

जाति ब्राहमण निवासी बनापुरा तहसील बसवा

(प्रार्थीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला–दौसा

(अप्रार्थी)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 29.5.2024

उपस्थिति :–1. प्राथीगर्ण की ओर से एडवाकेट श्री श्यामसुन्दर शर्मा

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी हेतु पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 45 पुराना 45 खसरा नंबर 161, 162, 230, 231, 232, 320, 321, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82 कुल किता 15 कुल रकबा 5.17 हैक्टयर भूमि रामा बनापुरा पटवार हलका लीलोज में स्थित है । अप्रार्थी ने दिनांक 11.6.2014 को उक्त भूमि खसरा नंबर 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 161, 162 का मौके पर पहुँचकर प्रार्थीगणों एवं गवाहो के समक्ष भूमि का सीमाज्ञान किया गया । ऐसी दशा में दिनांक 11.6.2014 के अनुसार प्रार्थीगणों की भूमि की पत्थरगढी व तारबंदी किया जाना उचित है । जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि के चारों ओर मेडबंदी व तारबंदी करवा लेंगे जिससे भूमि सुरक्षित रह सके । अतः प्रस्तुत प्रा.पत्र 128 एल.आर.एक्ट को स्वीकार करके, प्रार्थीगणों की भूमि खाता संख्या नया 45 पुराना 45 खसरा नंबर 161, 162, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82 भूमि रामा बनापुरा की दिनांक 11.6.2014 के अनुसार पत्थरगढी मौके पर करवाने के आदेश फरमाये एवं पुलिस इमदाद के आदेश दिये जाने की कृपा करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:37:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश होने पर, प्रकरण को नियमानुसार रजिस्टर में दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये ।

पत्रावली का अवलोकन किया, मुताबिक मौका पर्चा वास्ते सीमाज्ञान द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

गिरदावर बसवा एवं पटवारी हलका पण्डितपुरा द्वारा दिनांक 11.6.2014 में अंकन किया गया है कि ''आज दिनांक 11.6.2014 को श्रीमान् तहसीलदार साहब बसवा के आदेश क्रमांक 48 क्रमांक 19 दिनांक 26.5.2014 को पटवारी हलका पण्डितपुरा के साथ ग्राम बनापुरा के आराजी खसरा नंबर 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 161, 162 का सीमाज्ञान करने मौके पर पहुँचा और मौके पर पहुँच कर मुस्तकिल प्वाइंट खसरा नंबर 71 गै.मु.चाह को मानकर जरीब चलाकर खसरा नंबर 74 का उत्ती पूर्वी कोना कायम किया एवं उपरोक्त मुस्तकिल प्वाइंट मानकर खसरा नंबर 74 का दक्षिणी पूर्वी कोना कायम किया एवं उपरोक्त चाह से खसरा नंबर 82 का दक्षिणी पूर्वी कोना कायम किया एवं खसरा नंबर 169 गै.मु.चाह को मुस्तकिल प्वाइंट मानकर खसरा नंबर 82 दक्षिणी पश्चिमी कोना कायम किया गया व मुस्तकिल प्वाइंट खसरा नंबर 46 गै.मु.चाह से पूर्व की तरफ जरीब चलाकर खसरा नंबर 78 व 79 पश्चिमी कौना कायम किया इसी प्रकार खसरा नंबर 82 के दक्षिणी पश्चिमी कोना से खसरा नंबर 78 उत्तरी पश्चिमी कोना कायम करते हुए खसरा नंबर 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 161, 162 के सभी खसरों जरीब चलाकर सीमाज्ञान उपस्थित लोगों व खातेदारों को बताया गया एवं उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये।''

प्रार्थीगण पक्षकारान की बहस सुनी गई । प्रार्थी पक्ष के द्वारा अपनी बहस में, इन तथ्यों को न्यायालय के सम्मुख रखा गया कि प्रार्थिया द्वारा जो प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी पेश किया है, वह विधिसम्मत व न्यायोचित है, लिहाजा पत्थरगढी करने के आदेश प्रसारित किये जावें ।

प्रकरण के क्रम में तहसीलदार बसवा से रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार बसवा द्वारा उनके पत्र क्रमांक भू.अ./पत्थरगढी/2024/1916 दिनांक 29.5.2024 के संलग्न पटवारी हलका पण्डितपुरा की जांच रिपोर्ट न्यायालय हाजा को भिमवाई । संलग्न पटवारी हलका पण्डितपुरा की रिपोर्ट में पटवारी हलका ने अंकन किया है कि ''आज दिनांक 27.5.5.2024 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय बसवा के आदेश क्रमांक : भू.अ./2024/1671 दिनांक 17.5.2024 की पालना में मौके पर ग्राम बनापुरा खसरा नंबर 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82 पर पहुँचा । उपरोक्त खसरा नंबर की मौके की जांच करने पर पाया कि उपरोक्त खसरा नंबर जमाबंदी अनुसार वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकोर्ड है । प्रार्थी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014 में उपरोक्त खसरा नंबरान का सीमाज्ञान किया जा चुका है । उक्त खसरा नंबरान मौके पर खाली हैं । पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।''

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण के क्रम में तहसीलदार बसवा से प्राप्त जांच रिपोर्अ अनुसार, पटवारी हलका पण्डितपुरा द्वारा ग्राम बनापुरा खसरा नंबर 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82 के खसरा नंबर पर पत्थरगढी किये जाने के संबंध में अनापत्ति होना प्रकट किया है ।

लिहाजा आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार बसवा ग्राम बनापुरा खसरा नंबर 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82 भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवावें, एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी [illegible] के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से [illegible] जाना सुनिश्चित करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:07:03 IST
Reason: SelfAttested

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी,बसवा
उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)